भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1251
दिनांक 11 फरवरी, 2025/ 22 माघ, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

महिलाओं के प्रति अपराध

†1251. श्री अरविंद गणपत सावंतः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के राज्यवार कितने मामले दर्ज किए गए हैं;
(ख) क्या देश में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार विशेषकर बलात्कार और हत्या के मामलों में सर्वाधिक वृद्धि हुई है;
(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के लिए राज्यवार कितने अभियुक्तों को दोषसिद्ध किया गया और कितनों को बरी किया गया;
(घ) क्या सरकार का महिलाओं के प्रति हिंसा को नियंत्रित करने के लिए सभी राज्यों की समिति गठित करने का कोई प्रस्ताव है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समिति में विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि कौन-कौन होंगे?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) से (ग): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किये गये अपराधों पर सांख्यिकीय डेटा को संकलित करता है व उसे अपने वार्षिक प्रकाशन "क्राइम इन इंडिया" में प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2022 से संबंधित है। वर्ष 2020 से 2022 के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराध से सम्बंधित दर्ज मामलों का राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों-वार ब्यौरा अनुलग्नक-। पर है। वर्ष 2020 से 2022 के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराध से सम्बंधित दर्ज मामलों का अपराध-शीर्ष वार ब्यौरा अनुलग्नक-।। पर है। वर्ष 2020 से 2022 के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराध के तहत दोषसिद्ध मामलों, दोषमुक्त मामलों, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों, दोषसिद्ध किए गए व्यक्तियों और दोषमुक्त किए गए व्यक्तियों का राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक-। पर है।

लोक सभा अता. प्र.सं.1251 दिनांक 11.02.2025

महिलाओं के अधिकारों के बारे में समाज में शिक्षा और जागरूकता के स्तर में वृद्धि, कानून प्रवर्तन तंत्र में सुधार, पुलिस थानों तक पहुंच में आसानी और मामलों के पंजीकरण की सुविधा, जीरो एफआईआर सहित एफआईआर दर्ज करने के लिए प्रोटोकॉल और एडवायजरीज (Advisories) का अनुपालन, अधिकारियों का लैंगिक संवेदनशीलता पर प्रशिक्षण और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आदि, के कारण अपराध की बेहतर रिपोर्टिंग हुई है।

(घ) और (ड.): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने, महिलाओं के विरुद्ध अपराध की जाँच और अभियोजन सहित नागरिकों के जान-माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है। राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन कानूनों के मौजूदा प्रावधानों के तहत ऐसे अपराधों से निपटने के लिए सक्षम हैं।

******

वर्ष 2020 से 2022 के दौरान, राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र-वार महिलाओं के खिलाफ अपराध से सम्बंधित दर्ज मामलें (सीआर), दोषसिद्ध मामलें (सीओएन), दोषमुक्त मामलें (सीएक्यू), गिरफ्तार किए गए व्यक्ति (पीएआर), दोषसिद्ध किए गए व्यक्ति (पीसीवी) और दोषमुक्त किए गए व्यक्ति (पीएक्यू) का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य संघ/ राज्य क्षेत्र	2020						2021						2022					
		सीआर	सीओएन	सीएक्यू	पीएआर	पीसीवी	पीएक्यू	सीआर	सीओएन	सीएक्यू	पीएआर	पीसीवी	पीएक्यू	सीआर	सीओएन	सीएक्यू	पीएआर	पीसीवी	पीएक्यू
1	आंध्र प्रदेश	17089	279	3871	18976	506	8123	17752	176	2948	19085	297	9165	25503	414	8485	30846	716	14260
2	अरुणाचल प्रदेश	281	1	1	312	1	1	366	21	12	370	22	14	335	29	27	319	29	28
3	असम	26352	140	4068	33537	149	4801	29046	148	3647	34923	185	4578	14148	512	10056	19789	548	11352
4	बिहार	15359	174	222	13015	256	419	17950	521	430	15685	630	877	20222	1059	677	21320	1333	2334
5	छत्तीसगढ़	7385	870	1261	9380	1082	1664	7344	819	1726	9950	1042	2307	8693	3214	1883	10567	4714	2521
6	गोवा	219	11	58	227	21	84	224	4	63	186	7	88	273	16	103	192	18	137
7	गुजरात	8028	59	1158	14339	92	2549	7348	127	2398	13506	183	6181	7731	228	4019	12188	396	9637
8	हरियाणा	13000	168	876	11480	235	1314	16658	467	2174	13434	586	3296	16743	591	3902	13682	743	5498
9	हिमाचल प्रदेश	1614	49	196	1547	63	348	1599	72	266	1409	85	444	1551	141	450	1003	163	679
10	झारखंड	7630	992	903	7600	1081	1111	8110	606	629	7300	720	706	7678	1208	2842	8296	1300	3201
11	कर्नाटक	12680	163	3331	21662	241	5940	14468	512	5690	26167	649	10433	17813	540	9139	27753	627	16126
12	केरल	10139	1367	5551	11295	1549	6530	13539	502	2909	16110	570	3711	15213	803	6337	16325	970	7387
13	मध्य प्रदेश	25640	2017	3092	28878	2735	4745	30673	4057	6336	26808	5705	9462	32765	6155	9031	24709	8200	13574
14	महाराष्ट्र	31954	668	3655	38675	888	8377	39526	996	6043	44363	1213	12918	45331	1486	11309	40934	1776	20466
15	मणिपुर	247	2	7	228	3	7	302	8	18	294	8	18	248	22	13	183	22	13
16	मेघालय	568	63	40	524	70	43	685	66	38	682	72	40	690	69	94	410	74	97
17	मिजोरम	172	72	21	180	76	21	176	45	10	179	48	10	147	87	38	155	89	41
18	नागालैंड	39	13	1	51	13	1	54	7	3	68	18	3	49	9	5	58	9	5
19	ओडिशा	25489	144	1427	13737	157	2254	31352	193	2120	16246	199	3544	23648	671	6613	9240	763	6942
20	पंजाब	4838	194	566	5940	296	985	5662	307	1116	6543	494	1639	5572	442	1865	6399	624	2568
21	राजस्थान	34535	3780	3137	23296	4806	4615	40738	4180	4004	28698	5312	5372	45058	4211	4807	29938	5932	7426
22	सिक्किम	140	11	15	145	11	19	130	24	37	137	24	38	179	39	98	161	40	104
23	तमिलनाडु	6630	392	1376	9183	586	2267	8501	500	2264	12653	635	3555	9207	882	3637	14040	1019	5113
24	तेलंगाना	17791	801	2329	15007	979	3892	20865	406	3211	13905	506	4955	22066	609	4486	16139	736	6316
25	त्रिपुरा	874	34	150	689	40	212	807	47	197	576	51	338	752	66	380	537	86	586
26	उत्तर प्रदेश	49385	8386	4728	79875	14608	14556	56083	7713	4787	93392	14024	11493	65743	13099	4678	101754	21729	9179
27	उत्तराखंड	2846	99	135	2090	114	158	3431	196	218	2627	218	253	4337	163	220	2688	187	246
28	पश्चिम बंगाल	36439	73	3443	20284	104	7540	35884	154	5862	23510	222	11886	34738	786	7996	23705	907	21268
	कुल (राज्य)	**357363**	**21022**	**45618**	**382152**	**30762**	**82576**	**409273**	**22874**	**59156**	**428806**	**33725**	**107324**	**426433**	**37551**	**103190**	**433330**	**53750**	**167104**
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	143	15	36	141	18	49	169	17	126	182	19	143	178	17	76	167	18	83
30	चंडीगढ़	301	11	30	257	15	45	343	20	66	236	24	111	325	45	96	314	55	125
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	61	2	29	79	2	36	99	2	51	103	2	63	126	8	72	152	14	84
32	दिल्ली	10093	403	388	11213	485	557	14277	274	355	14238	325	471	14247	442	709	15112	604	987
33	जम्मू और कश्मीर	3405	19	533	4548	35	1204	3937	52	519	7109	95	1175	3716	68	922	6309	155	1871
34	लद्दाख	9	14	6	9	15	6	18	4	4	23	4	4	15	1	3	17	1	3
35	लक्षद्वीप	15	2	1	17	2	1	9	0	2	26	0	17	16	2	1	12	2	1
36	पुदुचेरी	113	63	32	204	68	32	153	0	14	329	0	14	200	2	11	332	3	18
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	**14140**	**529**	**1055**	**16468**	**640**	**1930**	**19005**	**369**	**1137**	**22246**	**469**	**1998**	**18823**	**585**	**1890**	**22415**	**852**	**3172**
	कुल अखिल) (भारत	**371503**	**21551**	**46673**	**398620**	**31402**	**84506**	**428278**	**23243**	**60293**	**451052**	**34194**	**109322**	**445256**	**38136**	**105080**	**455745**	**54602**	**170276**

स्रोत :क्राइम इन इंडिया

लोक सभा अता .सं .प्र .1251 दिनांक 11.02.2025
अनुलग्नक-II

वर्ष 2020 से 2022 के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराध से सम्बंधित दर्ज मामलों का अपराध-शीर्ष वार ब्यौरा

क्र. स.	अपराध-शीर्ष	2020	2021	2022
1	बलात्कार/सामूहिक बलात्कार के साथ हत्या	219	284	248
2	दहेज हत्या	6966	6753	6450
3	महिलाओं को आत्महत्या के लिए उकसाना	5040	5292	4963
4	गर्भपात	239	196	236
5	एसिड अटैक	105	102	124
6	एसिड अटैक का प्रयास	33	48	38
7	पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता	111549	136234	140019
8	महिलाओं का अपहरण	62300	75369	85310
9	मानव तस्करी	646	914	781
10	नाबालिग लड़कियों की बिक्री	12	12	8
11	नाबालिग लड़कियों की खरीद-फरोख्त	1	2	3
12	बलात्कार	28046	31677	31516
13	बलात्कार करने का प्रयास	3741	3800	3288
14	महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उन पर हमला	85392	89200	83344
15	महिलाओं की शालीनता का अपमान	7065	7788	8972
A	महिलाओं के विरुद्ध कुल आईपीसी अपराध	311354	357671	365300
16	दहेज निषेध अधिनियम	10366	13568	13479
17	अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम	868	1071	946
18	घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम	446	507	468
19	साइबर अपराध/सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम	2334	2597	2940
20	यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम	46123	52836	62095
21	महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम	12	28	28
B	महिलाओं के विरुद्ध कुल विशेष एवं स्थानीय कानून (SLL) के तहत अपराध	60149	70607	79956
	महिलाओं के विरुद्ध कुल अपराध	**371503**	**428278**	**445256**

स्रोत क्राइम इन इंडिया